सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 05 चैत्र, 1940 (श0) / 26 मार्च, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 72

(1) गृह विभाग	..	..	44
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	08
(3) वित्त विभाग	..	..	04
(4) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	07
(5) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	01
(6) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	01
(7) उद्योग विभाग	..	..	02
(8) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	04
(9) निगरानी विभाग	..	..	01
		कुल योग ---	72

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2125. डॉ0 शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड अन्तर्गत रामपुर पंचायत के सिसवनिया ग्राम एवं नरकटिया पंचायत के नरकटिया ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों द्वारा कब्रिस्तान का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*2126. मो0 नेमातुल्लाह--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सन् 2015 तक उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम से अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा का ऋण उपलब्ध कराया जाता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को वर्तमान में ऋण नहीं देकर सरकार द्वारा शिक्षा क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है, परन्तु इसे अल्पसंख्यक वित्त निगम से हटाकर कल्याण विभाग से जोड़ने के कारण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड कबतक अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हेलीपैड का निर्माण

*2127. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार स्थित चहारदीवारी से घिरा हुआ हवाई अड्डा मैदान में हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर उतरने हेतु रनवे एवं हेलीपैड नहीं होने के कारण किसी प्रकार का उड्डयन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त हवाई अड्डा मैदान में रनवे एवं हेलीपैड निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नौकरी देने का विचार

*2128. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड के बुद्धुचक थाना के रानी दियरा में दिनांक 7 मार्च, 2008 को अरविन्द पासवान, पिता-स्वर्गीय जीतन पासवान की हत्या कर दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना कांड में थानाध्यक्ष, बुद्धुचक द्वारा एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट नहीं लगाने के कारण जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा उक्त स्वर्गीय के पुत्र को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी से वंचित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्वर्गीय पुत्र को एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट लगाकर चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर के चहारदीवारी का निर्माण

*2129. श्री (डॉ0) सी0 एन0 गुप्ता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बहादुर प्रखंड के वार्ड संख्या 35 स्थित धार्मिक स्थल बाबा ब्रह्मस्थान मंदिर जो काफी पुराना एवं जर्जर है तथा उसके चारों ओर चहारदीवारी भी नहीं है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मंदिर के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोजगार का अवसर प्रदान करना

*2130. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के रमडीहा गाँव में सैंकड़ों बुनकर हस्तकरघा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि हस्तकरघा एवं विद्युत्करघा को बढ़ावा देने का निर्णय सरकार द्वारा वर्ष 2012 में लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रमडीहा सहित अन्य जगहों के हस्तकरघा बुनकरों को पूँजी का सहयोग कर रोजगार का अवसर प्रदान करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल खोलना

*2131. श्री राम विलाश पासवान--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में गन्ना की खेती 600 एकड़ में होती है, लेकिन उक्त प्रखंड में एक भी चीनी मिल नहीं है जिस कारण गन्ना किसान औने-पौने दाम में गन्ना बेचने को विवश हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार पीरपैंती प्रखंड के लकड़ाकोल में चीनी मिल खोलने का विचार रखती है ?.

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2132. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत रामनगर, बेदौल पंचायत के ग्राम-बेदौल में गोशाला के बगल में नदी के किनारे जो मंसूरी जाति के लोगों का कब्रिस्तान है एवं रामनगर, बेदौल पंचायत के ग्राम-गोट बेदौल में रोड के उत्तर एवं रोड के दक्षिण साईड में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से असामाजिक तत्वों एवं अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थानों पर कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2133. मो0 तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखण्ड के पंचायत लक्ष्मीपुर के लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2134. श्री अब्दुस सुबहांन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी प्रखण्ड के चोपड़ा पंचायत के पश्चिम टोला कब्रिस्तान एवं पूरब टोला कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त दोनों कब्रिस्तानों की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2135. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के कोचाधामन पंचायत के थाना नं0 273, खाता 153, खेसरा 643 में अवस्थित सरकारी बोहिता कब्रिस्तान काफी संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्मशान घाट की घेराबंदी

*2136. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत आरा-सासाराम मुख्य मार्ग पर बनास नदी पुल के पास श्मशान घाट अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्मशान घाट में अधिकांशतः जल-जमाव के कारण दाह-संस्कार करने तथा घेराबन्दी नहीं रहने के कारण अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर मिट्टी भराई का कार्य कराते हुये श्मशान घाट की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन देने का विचार

*2137. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प, ज्ञापांक संख्या 05/पी0सी0-403/77 गृ0आ01999, दिनांक 20 फरवरी, 1979 द्वारा कार्य प्रकृति, दायित्व में समानता सहित सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त अपराध अनुसंधान विभाग के अंगुलांक एवं हस्तलिपि विशेषज्ञों के अनुरूप फोटो विशेषज्ञों का वेतनमान एकसमान कर दिया गया, पुनरीक्षित वेतनमान 1 जनवरी, 1981 से 1 जनवरी, 2006 तक वेतनमान एकसमान ही रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग की संचिका सं0 3ए-1मुक0-49/2013-2098-वि0, दिनांक 4 मार्च, 2014 द्वारा पूर्व के वेतनमान पे-बैंड-2, ग्रेड-पे-4,600 रु0 को संशोधित करते हुये हस्तलिपि एवं अंगुलांक विशेषज्ञों का वेतन पी0बी0-2+4,800 एवं चार वर्ष की सम्पुष्ट सेवा के बाद पी0बी0 3+5,400 का वेतनमान अनुमान्य किया गया तथा सातवें वेतनमान पुनरीक्षण में लेवल-8(पी0बी02+4,800) में रखा गया जबकि फोटो विशेषज्ञों का पी0बी0-2+4,600 (सातवें वेतनमान में भी लेवल-7) में रही रखा गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फोटो विशेषज्ञों को हस्तलिपि एवं अंगुलांक विशेषज्ञों के समतुल्य एक ही अविराम वेतन देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वसूली करना

*2138. डॉ0 अब्दुल गफुर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के द्वारा वर्ष 2015-16 में 25 करोड़ रुपये कपड़ा दुकान, किराना दुकान सहित अन्य योजनाओं में अबतक जो राशि रोजगार के लिये दी गई है, उसका सिर्फ 40 प्रतिशत ही वसूली हुई है, यदि हाँ, तो सरकार शत-प्रतिशत वसूली कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवागमन सुगम बनाना

*2139. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना-खगौल रोड अवस्थित मीठापुर सब्जी मंडी में प्रतिदिन सैंकड़ों सब्जी विक्रेताओं एवं हजारों क्रेताओं का आना-जाना होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि थोक एवं खुदरा सब्जी विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से सड़कों पर यत्र-तत्र वाहन खड़ी कर सब्जी बिक्री की जाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सब्जी विक्रेताओं के अवैध अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों आवागमन बाधित रहने के साथ ही स्थानीय निवासियों का आम जन-जीवन भी प्रभावित रहता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अतिक्रमण को समाप्त कर आवागमन सुगम बनाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2140. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के तरौना, भोजपुर पंचायत के पेखाखुड़ी गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीप की व्यवस्था

*2141. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत नोहट्टा प्रखण्ड के डरहाट थाना को जीप नहीं रहने के कारण थाना के कर्मी को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार डरहाट थाना को जीप कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्त को गिरफ्तार करना

*2142. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के राजेन्द्र मंडल, ग्राम-रघुनाथपुर, संथाली टोला, वार्ड नं० 12, थाना-बसनही, जिला-सहरसा के 12 वर्षीय पुत्री का बलात्कार दिनांक 27 फरवरी, 2018 को कुमोद मंडल, पिता-बचनेश्वर मंडल के द्वारा दिन-दहाड़े किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तिथि को ही घायल अवस्था में पीड़िता एवं उसके परिजन द्वारा बसनही थाना में एफ० आई० आर० दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु थाना में थाना प्रभारी पदस्थापित मुंशी एवं दफादार मो० तमीज द्वारा केस को झूठा बताकर एफ०आई०आर० दर्ज करने से इनकार किया गया एवं एक सादा कागज पर हस्ताक्षर कराकर वापस कर दिया ;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 1 मार्च, 2018 को पीड़िता द्वारा महिला थाना, सहरसा में एफ०आई०आर० दर्ज किया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बसनही थाना के एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करने वाले कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये अभियुक्त को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2143. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत श्रीखण्डी, भिट्ठा पंचायत के गोपालपुर ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबन्दी एवं डाढ़ावारी पंचायत के ग्राम-भगवतीपुर में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित स्थानों पर कबतक कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण कराना

*2144. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये प्रत्येक जिला में 100-100 बेड का छात्रावास निर्माण योजना के तहत पूर्णियाँ जिला में भी 100-100 बेड का दो छात्रावास बनाने की स्वीकृति वर्ष 2012-13 में 2 करोड़ 32 लाख 64 हजार की स्वीकृति दिया गया है एवं छात्रावास का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ॰ पी॰ थाना की स्थापना

*2145. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखण्ड के गढ़ बाजार में वर्ष 1994-95 में पुलिस कैम्प की स्थापना हुयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि गढ़ बाजार नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तथा आये दिन आपराधिक घटनाएँ घटती रहती हैं, जिसके कारण आमजन दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गढ़ बाजार में पुलिस कैम्प की जगह ओ॰ पी॰ थाना की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों को गिरफ्तार करना

*2146. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर थाना कांड संख्या 221/17, दिनांक 6 अगस्त, 2017 में नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं किये जाने से पीड़ित एवं पीड़ित परिवार के अन्य सदस्यों में भय व्याप्त है साथ ही कांड में नामित अभियुक्तों द्वारा आये दिन पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कांड के नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2147. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत गड़हनी पंचायत के ग्राम-गड़हनी, उत्तरपट्टी में कब्रिस्तान की घेराबन्दी एवं बिचली पट्टी तथा ग्राम-गड़हनी के बागर रोड में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थानों पर कबतक कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2148. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा थाना के थानाध्यक्ष राजेश रंजन द्वारा निस्ता गाँव के ग्रामीणों पर दिनांक 1 फरवरी, 2018 को रात्रि 8.30 बजे के करीब अपने सर्विस रिवाल्वर से दो राउण्ड गोली चलाई गयी, पुन: 11.00 बजे पुलिस बल के साथ आकर आतंक फैलाया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उनके द्वारा गाँव के कई पुरुष-महिलाओं पर अवैध बालू एवं प्रदूषण एवं आर्म्स ऐक्ट के तहत एफ॰आई॰आर॰ संख्या 12/2018, दिनांक 2 फरवरी, 2018 को किया एवं जबरन खाली ट्रक एवं ट्रैक्टर को खींचकर थाना ले जाया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनता पर गोली चलाने वाले थानाध्यक्ष राजेश रंजन पर कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2149. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के नौवाडीह पंचायत के गौरीपुर टोला एवं सोनो प्रखंड के दहियारी पंचायत के कोढ़ाडीह में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2150. श्री फैसल रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत घोड़ासहन प्रखंड के श्रीपुर उत्तरवारी टोला कवइया कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*2151. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बरौनी और बीरपुर प्रखंड में हर वर्ष आगलगी की घटनाओं के दौरान जिला मुख्यालय से अग्निशमन दस्ता मंगवाना पड़ता है, जिसमें देरी की वजह से जान-माल और फसलों को ज्यादा क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार बीरपुर और बरौनी प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन दस्ता कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संसाधन की व्यवस्था

*2152. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस संशोधन विधेयक, 2007 में ही पारित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संशोधन पुलिस बल वायरलेस सेट को मजबूत करने की दिशा में, थाने को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था के लिये तथा निरीक्षण कार्य के लिये अलग-अलग प्रावधान किया गया था, जो अबतक लागू नहीं किया जा सका है जिससे कानून एवं व्यवस्था में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त संशोधन के आलोक में वांछित संसाधन की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं ?

भवन का निर्माण

*2153. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत जनेरवा पंचायत के ग्राम-जनेरवा मुस्लिम बहुल इलाका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में सरकारी भू-खंड उपलब्ध है, परन्तु शादी ब्याह करने हेतु विवाह भवन नहीं रहने के कारण उक्त समुदाय के लोगों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर उक्त भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध सम्पत्ति से कब्जा हटाना

*2154. मो० नेमातुल्लाह--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 1954 से अबतक कुल कितने वक्फ-खानकाह-मदरसों की सम्पत्ति सुन्नी तथा सिया वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित वक्फ सम्पत्तियों में कुल कितने सम्पत्ति पर अवैध कब्जा है तथा कितने सम्पत्ति को मोतल्विलयों एवं स्थानीय दबंग लोगों द्वारा बेच डाला गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 1954 से अबतक बेचे गये/कब्जा किये गये सम्पत्ति को हासिल करने के लिये कौन-सा रूप रेखा अपनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कितने दिनों में नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल खोलना

*2155. श्री राम विलाश पासवान--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड में गन्ना की खेती 500 एकड़ में होती है, लेकिन उक्त प्रखंड में एक भी चीनी मिल नहीं है, जिसके कारण गन्ना किसान औने-पौने दाम में गन्ना बेचने को विवश हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के नन्दलालपुर में चीनी मिल कबतक खोलने का विचार रखती है ?

कब्जा दिलाना

*2156. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के पत्रांक 1034, दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया है कि रउफिया वक्फ स्टेट नं० 1488 भूसौला दानापुर, पटना की सम्पत्ति पर वक्फी बोर्ड को दखल कब्जा दिलाया जाये, यदि हाँ, तो सरकार रउफिया वक्फ स्टेट की सम्पत्ति पर वक्फ बोर्ड को कबतक दखल कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*2157. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिये किशनगंज जिले से 248 लोगों का चयन हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन 248 चयनित लोगों का documentation एवं कागजी प्रक्रिया पूरी हुये लगभग तीन माह हो गया है, परन्तु अभीतक इन लोगों को ऋण की स्वीकृति राशि भुगतान नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनगंज जिले से चयनित 248 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण की राशि भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*2158. श्री रामप्रीत पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी बहुत बड़ा जिला है तथा भारत-नेपाल सीमा से सटा हुआ है जहाँ होमगार्ड डी०एस०पी० (जिला समादेष्टा) चार वर्षों से दूसरे जिले के समादेष्टा के चार्ज में हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिले में स्थायी गृह वाहिनी जिला समादेष्टा को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धर्मकाँटा का प्रबंध करना

*2159. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के सुगौली चीनी मिल में किसानों के गन्ना का तौल कम करके किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल में गन्ना किसान शिववालक सिंह, ग्राम-माधोपुर, थाना-मंझौलिया, जिला पश्चिम चम्पारण के गन्ना का तौल 12175 किलोग्राम को 11410 किलोग्राम करके किया गया था, जिसका एफ०आई०आर० सुगौली थाना काण्ड संख्या-26/18 दिनांक 29 जनवरी, 2018 दर्ज किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी चीनी मिलों में किसानों को कमतौली से बचाने के लिये धर्मकाँटा का प्रबंध कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2160. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखण्ड के धमनी पंचायत अन्तर्गत बगहा विसुनपुर तथा शेखपुरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुआ है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निर्माण कराना

*2161. श्री जीवेश कुमार--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड अन्तर्गत जाले पूर्वी पंचायत के गररी गाँव तथा देवरा बंधौली पंचायत के बधौल गाँव में एम०एस०डी०पी० योजना से स्वास्थ्य उप-केन्द्र का निर्माण वर्ष 2014 में किया जाना था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य उप-केन्द्र का अनुमोदन दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 79वी प्राधिकृत समिति के बैठक में हुआ था, जिसे बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2014 में अनुमोदन कर उक्त स्वास्थ्य उप-केन्द्र के लिये जमीन उपलब्ध करा दिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्वास्थ्य उप-केन्द्र को कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2162. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बेला थाना में धारा 302,201/34 के तहत काण्ड संख्या 213/17 पाँच महीना पहले दर्ज किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बेला थाना प्रभारी एवं काण्ड के अनुसंधानकर्ता नामजद अभियुक्त से मिलकर केस को रफा-दफा करने हेतु अनुसंधान में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केस में त्वरित कार्रवाई नहीं करने वाले थाना प्रभारी बेला एवं अनुसंधान करने वाले पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2163. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सोनों थाना द्वारा मा० सदस्या के क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान स्कॉर्ट पार्टी नहीं दी जाती है जबकि नक्सल क्षेत्र में मा० सदस्यों की सुरक्षा हेतु स्कॉर्ट पार्टी देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि चकाई विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्रिय विधायक श्रीमती सावित्री देवी को दिनांक 19 फरवरी, 2018 को क्षेत्रीय परिभ्रमण हेतु थाना प्रभारी सोनों से स्कॉर्ट की माँग किये जाने के बाद भी स्कॉर्ट पार्टी उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2164. मो० तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखण्ड के लक्ष्मीपुर पंचायत के कालपीट बुरूप टोला कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेरबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन की सुविधा प्रदान करना

*2165. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पत्रकार पेंशन योजना की शुरूआत 15 अगस्त, 2015 से करने की सरकारी घोषणा और इसके लिये नियमावली बन गयी परन्तु अभीतक किसी भी पत्रकारों को पेंशन की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है, हाँ, तो क्या सरकार सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कराना

*2166. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत चैसोट और कृषि वैश्य जाति अनुसूचित जन-जाति वर्ग के किसान जाति के हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जाति को अनुसूचित जन-जाति किसान जाति के रूप में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2167. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत महादेव स्थान, ठेरा एक अति महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल है, जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण उक्त स्थल के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त धार्मिक स्थल का चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं का जाँच पूरा कराना

*2168. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा विधान सभा क्षेत्र में हुई इंदिरा आवास, शौचालय निर्माण योजना सहित अन्य विकास योजनाओं की लूट एवं गबन की जाँच निगरानी विभाग को 27 मई, 2017 को दी गयी थी, किन्तु उक्त योजनाओं का अभीतक जाँच पूरी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजनाओं की जाँच कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*2169. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंडान्तर्ग हस्तकरघा उद्योग विगत 5 वर्षों से कच्चा सूता के अभाव में बन्द है, यदि हाँ, तो सरकार करघा उद्योग को चलाने हेतु कच्चा सूता की व्यवस्था कर उक्त बंद पड़े उद्योग को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय समारोह मनाना

*2170. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्णियाँ प्रमंडल में आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणू का जन्म होने के बावजूद भी उनकी जयन्ती एवं पुण्य तिथि के अवसर को राजकीय समारोह के रूप में नहीं मनाया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उनकी जयन्ती एवं पुण्य तिथि को राजकीय समारोह के रूप में कबतक मनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2171. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ सदर प्रखंड के मधुबनी टी०ओ०पी० तथा मुफस्सिल थाना रानीपतरा में महिला कैदियों के लिये महिला हाजत और शौचालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना में महिला कैदियों के लिये महिला हाजत और शौचालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर की घेराबंदी

*2172. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर नगर प्रखंड के पतसिया पश्चिम पंचायत के रजैसी ग्राम में स्थित ब्रह्मबाबा का मंदिर है, यहाँ लोग पूजा-अर्चना करने आते हैं, लेकिन उक्त मंदिर की सुरक्षा हेतु मंदिर की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सम्मान पुरस्कार देना

*2173. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2015 से हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवियों तथा साहित्यकारों को शिखर सम्मान पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उर्दू के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवियों को शिखर सम्मान पुरस्कार वर्ष 2010 से नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्दू में सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवियों को शिखर सम्मान पुरस्कार देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि वापस दिलाना

*2174. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के गलगलिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुचर्चित घोटाला में सैकड़ों ग्राहकों को बैंक कर्मियों द्वारा करोड़ों रुपया का चुना लगाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घोटाला में अधिकतर क्षेत्र के किसान मजदूर, व्यवसायी प्रभावित हुये हैं, जो बेवस एवं लाचार हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रभावित बैंक ग्राहकों को उनकी राशि वापस दिलाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2175. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के माधोपुर सरारी पंचायत के सरारी गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*2176. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया अन्तर्गत शनीचरी थाना एन०एच० 28बी० पर अवस्थित है जिसका अपना भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी, योगापट्टी द्वारा उक्त थाना भवन निर्माण हेतु जमीन भू-अर्जन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु रिपोर्ट सौंप दी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त थाना भवन का निर्माण सरकार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*2177. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अन्तर्गत लौरिया का नवलपुर थाना एक छोटे से मकान में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस थाना भवन के लिये जमीन चिन्हित कर अंचलाधिकारी, योगापट्टी द्वारा भू-अर्जन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को संबंधित कागजात अग्रेतर कार्रवाई हेतु तीन माह पूर्व सौंप दी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या उक्त थाना भवन का निर्माण सरकार कबतक कराने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*2178. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला-मधेपुरा अन्तर्गत थाना-चौसा के अधीन ओ०पी०, फुलौत अवस्थित है, जिसका निर्माण 2010 से अधूरा पड़ा हुआ है, ओ०पी० का अपना भवन नहीं रहने के कारण पुलिसकर्मियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ओ०पी०, फुलौत के भवन निर्माण को पूर्ण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*2179. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के दरभंगा स्टेशन चौक, दोनार चौक, अललपट्टी, वेंता चौक, लहेरिया टावर, दरभंगा टावर, वाकरगंज, नाका 5, मिर्जापुर चौक व्यस्त समय सुबह 9.00 बजे से 12.00 बजे एवं संध्या 4.00 बजे से 7.00 बजे तक भीषण जाम रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त स्थलों को जाम से निजात के लिये कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण करना

*2180. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवाल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के दरभंगा एवं गया सहित राज्य के सभी जिलों के उर्दू अनुवादक तथा उच्चवर्गीय लिपिक का स्थानान्तरण विगत 10 वर्षों से नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उर्दू अनुवादक एवं उच्चवर्गीय लिपिक का स्थानान्तरण कबतक उक्त जिला सहित राज्य के सभी जिलों में करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2181. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज थाना के मौजा गोदना में वक्फ नं० 107 मदरसा हमिदिया की भूमि है जिसपर अवस्थित कुएँ की जमीन पर श्री शिवजी महतो, पिता-स्व० जगन्नाथ महतो द्वारा धर्म स्थल बनाया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर छपरा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2017 को आदेश पारित कर श्री शिवजी महतो को धार्मिक स्थल के निर्माण की गतिविधि पर रोक लगा दिया है, जिसकी सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, छपरा के ज्ञापांक 4391, दिनांक 26 नवम्बर, 2017 द्वारा थानाध्यक्ष, रिविलगंज को आदेश का पालन करने हेतु दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष की मिलीभगत से वर्णित स्थल पर गतिविधि जारी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गतिविधि को रोकने एवं आदेश की अवहेलना करने वाले थानाध्यक्ष पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

राशि निकासी करना

*2182. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176, 177 के अनुसार जबतक तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो, कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिये;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नियम का उल्लंघन कर राज्य के उद्योग विभाग, पटना द्वारा 3.50 करोड़, समाहर्ता, बेगूसराय द्वारा 2.72 करोड़ सहित कुल 13 विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 10.51 करोड़ रुपये की राशि कोषागार से निकासी कर रखी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार कोषागार संहिता का उल्लंघन कर कोषागार से राशि निकासी कर रखे रहने का औचित्य क्या है ?

हवाई जहाज परिचालन प्रारंभ करना

*2183. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय गोपालगंज जिले के सबेयां हवाई अड्डा का उपयोग हुआ था;

(2) क्या यह सही है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित इस हवाई अड्डे का रख-रखाव राज्य सरकार के अधीन है तथा जर्जर होने के कारण वर्ष 2008 से पूर्णतः परिचालन बंद कर दिया गया है लेकिन विगत दो वर्षों से केन्द्र सरकार ने उड़ान योजना प्रारम्भ की है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सबेयां हवाई अड्डे पर हवाई जहाज का परिचालन प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्ज कराना

*2184. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से जनवरी, 2018 तक पथों एवं पुलों के निर्माण कार्य में निर्माण कार्य एजेन्सी द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन का शिलापट्ट पर क्षेत्रीय विधायक का नाम दर्ज नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार शिलान्यास एवं उद्घाटन शिलापट्ट पर क्षेत्रीय विधायक का नाम कबतक दर्ज कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय खोलना

*2185. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले का बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र नक्सल प्रभावित है एवं बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र काफी बड़ा तथा दियारा/बाढ़ प्रभावित होने के कारण पुलिस को अपराध नियंत्रण करने में काफी परेशानी होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज मुख्यालय से लगभग 75 किलो मीटर की दूरी तक उक्त थाना का क्षेत्र पड़ता है जो साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) तथा पानापुर (सारण) दोनों नक्सल प्रभावित क्षेत्र से सटा हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र को दो भागों में विभक्त कर राजापट्टी में थाना/ओ०पी० खोलने के साथ-साथ बैकुण्ठपुर मुख्यालय में पुलिस निरीक्षक तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियोजन प्रक्रिया पूरी करना

*2186. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अक्टूबर, 2016 में प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, डाटा इंट्री ऑपरेटर हेतु संविदा आधारित नियोजन का विज्ञापन कारा विभाग द्वारा निकाला गया था परन्तु अभीतक नियोजन की कोई प्रक्रिया नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो विलंब का क्या औचित्य है और कबतक नियोजन प्रक्रिया पूरी करने का सरकार विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2187. श्री अब्दुस सुबहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी प्रखण्ड के शादीपुर, बुतहा पंचायत के कुमहरवा कब्रिस्तान एवं मलहरिया पंचायत के बिशहारी, सकरबलिया कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त दोनों कब्रिस्तानों की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2188. श्री फैसल रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत घोड़ासहन प्रखण्ड के राजवाड़ा कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2189. श्री विजय प्रकाश--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के बरहट प्रखंड अंतर्गत कोल्हुआ, केवाल गाँव का कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हो सका है, जिसके कारण कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2190. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के कोसकीपुर एवं तजिया चौक वाली कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिकी दर्ज करना

*2191. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया थाना क्षेत्र के बैरिया, नहर टोला मंदिर के पास 22 अक्टूबर, 2017 की रात्रि में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण ग्रामीणों की पिटाई की जिसमें गर्भवती महिला उमावती देवी, पति-विक्रम चौधरी को रक्तस्राव होने लगा जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैरिया में रसीद संख्या ई०बी० 03568, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस की पिटाई से घायल महिला उमावती देवी ने बैरिया थाना को 23 अक्टूबर, 2017 को प्राथमिकी हेतु लिखित आवेदन दी, लेकिन फरवरी, 2018 तक कांड अंकित नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निर्दोष ग्रामीणों पर लाठी बरसाये पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दंडित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा परिणाम दिलाना

*2192. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिपाही संख्या 324, गुप्तेश्वर राय सहित इग्यारह शेखपुरा जिला बल के सिपाही शेखपुरा जिलादेश संख्या 735/10, दिनांक 23 सितम्बर, 2010 के आलोक में प्रशिक्षण विद्यालय, औरंगाबाद में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किये, प्रशिक्षण पूरा कर सभी सिपाही 7 सितम्बर, 2011 को वापस आकर पुलिस केन्द्र, शेखपुरा में योगदान दिये ;

(2) क्या यह बात सही है कि इग्यारह जिला बल में 10 सिपाही का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया लेकिन सिपाही 324 गुप्तेश्वर राय का अभीतक विभाग द्वारा परीक्षा परिणाम नहीं भेजा गया जिससे उक्त सिपाही का प्रमोशन सहित अन्य विभागीय लाभ नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सिपाही का परीक्षा परिणाम कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० खोलना

*2193. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला-मधेपुरा अन्तर्गत थाना-आलमनगर के अधीन ग्राम पंचायत बिसपट्टी के शिव मंगल सिंह वासा में मधेपुरा एवं खगड़िया जिला की सीमा पर एक पुलिस कैंप लगभग पिछले 10 वर्षों से कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीमावर्ती इलाका रहने के कारण विधि-व्यवस्था कायम रखने हेतु यहाँ एक ओ०पी० की सख्त आवश्यकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में शिव मंगल वासा में एक ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि मुहैया कराना

*2194. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में सरकार द्वारा किसानों के लिये प्रीमियम भेराइटी के गन्ना बीज पर 160 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, जबकि पूर्वी चम्पारण के किसानों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों को बीज अनुदान की राशि उक्त जिलों को मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खुलवाना

*2195. श्रीमती पूर्णिमा यादव--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत रोह प्रखण्ड में एक भी को-ऑपरेटिव बैंक नहीं रहने से यहाँ के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रोह में को-ऑपरेटिव बैंक खुलवाने का विचार रखती है ?

पद सृजित करना

*2196. श्री (डॉ०) मोहम्मद जावेद--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 4 जनवरी, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उर्दू निदेशालय की समीक्षात्मक बैठक में राज्य की द्वितीय राजभाषा के सर्वांगीण विकास तथा उसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये सभी विभागों, थानों सहित निबंधन कार्यालयों, जन-सरोकार से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों, सभी आयोगों, निदेशालयों, निकायों आदि में उर्दू कर्मी के पद सृजित करके उनपर बहाली का निदेश दिया गया था जिसके अनुसार उर्दू कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के लगभग 2,600 पद सृजित करके उनपर बहाली की जानी थी, यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त घोषणा के अनुसार 2,600 उर्दू कर्मचारियों एवं उर्दू पदाधिकारियों के पद सृजित अभीतक नहीं करने का क्या औचित्य है ?

पटना :

दिनांक 26 मार्च, 2018 (ई०) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 128—डी०टी०पी०—550